निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1939 (श0)

संख्या 30 पटना, बुधवार, ——————

26 जुलाई 2017 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-14

भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 15-15

भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

पृष्ठ

भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 16-16

पूरक ---

पूरक-क 17-19

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं

28 अप्रील 2017

सं० **168** नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1	श्री सुशील प्रसाद, प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवहर।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सितामढ़ी स) सितामढ़ी	सितामढ़ी

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 28th April 2017

No. 168 A— The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and Station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Sushil Prasad, J.M. 1st Class, Sheohar.	(a) Judicial Magistrate (b) Sitamarhi (c) Sitamarhi	Sitamarhi

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

28 अप्रील 2017

सं० **169** नि0—श्री रामाश्रय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज को सितामढ़ी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 28th April 2017

No. 169 A—Sri Ramashraya, Additional District and Sessions Judge, Gopalganj is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Sitamarhi.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

4 मई 2017

सं० **181** नि0—श्री कुमुद रंजन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी को भागलपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 4th May 2017

No. 181 A—Sri Kumud Ranjan Singh, Additional District and Sessions Judge, Motihari is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Bhagalpur.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

4 मई 2017

सं० **183** नि0—श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रोहतास स्थित सासाराम को सेवानिवृत श्री राम प्रिय शरण सिंह के स्थान पर शिवहर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 4th May 2017

No. 183 A— Shri Raghwendra Kumar Singh, Principal Judge, Family Court, Rohtas at Sasaram is transferred and posted as District and Sessions Judge of Sheohar vice Sri Ram Priya Sharan Singh, since retired.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

4 मई 2017

सं० **184** नि0—श्री ज्योतिन्द्र कुमार सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखीसराय को दिनांक 30.06.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर खगड़िया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 4th May 2017

No. 184 A— Sri Jyotindra Kumar Sinha, Principal Judge, Family Court, Lakhisarai is transferred and posted as District and Sessions Judge of Khagaria vice Sri Atul Kumar Srivastava, on his superannuation, due on 30.06.2017.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

5 मई 2017

सं० **185** नि0—श्री त्रिभुवन नाथ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय को मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 5th May 2017

No. 185 A—Sri Tribhuwan Nath, Additional District and Sessions Judge, Lakhisarai is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Munger.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

6 मई 2017

सं० **186** नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा–3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री अमरेन्द्र प्रसाद, मुंसिफ, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर)।	समस्तीपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 6th May 2017

No. 186 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officers with designation and present place of posting with judgeship	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Amrendra Prasad, Munsif, Shahpur Patori (Samastipur)	Samastipur

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

6 मई 2017

सं० **188** नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री गीता वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा, की सेवायें अध्यक्ष, बिहार राज्य परिवहन अपीलिय न्यायाधिकरण, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 6th May 2017

No. 188 A—On being relieved of her present assignment, the services of Ms. Gita Verma, District & Sessions Judge, Nawadah are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for her appointment as the Chairman, Bihar State Transport Appellate Tribunal, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

6 मई 2017

सं० **189** नि0— अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री जितेन्द्र कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालन्दा, बिहारशरीफ की सेवायें विशेष सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 6th May 2017

No. 189 A— On being relieved of his present assignment, the services of Sri Jitendra Kumar, District & Sessions Judge, Nalanda at Biharsharif are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Special Secretary-cum-Addl. Legal Remembrancer in the Law Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis, for a maximum period of three years.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

9 मई 2017

सं० **196** नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–13 की उप–धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा–261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
1.	2.	3.
1.	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल
2.	श्री संजय कुमार निराला, (बि0प्र0से0), अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल
3.	श्री राजेश रौशन, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल
4.	श्री मुकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल
5.	श्री क्यूम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल
6.	श्रीमती राखी कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल
7.	श्री रवि शंकर शर्मा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल
8.	श्री जय प्रकाश नारायण, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल
9.	श्री मुकेश कुमार, (बि0प्र0से0) अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।	उदाकिशुनगंज अनुमण्डल
10.	श्री विनय कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज।	उदाकिशुनगंज अनुमण्डल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 9th May 2017

No. 196 A— In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Krishna Mohan Prasad, Land Acquisition Collector, Madhepura	Madhepura Subdivision
2.	Sri Sanjay Kumar Nirala, (B.A.S.) S.D.O., Madhepura	Madhepura Subdivision
3.	Sri Rajesh Roshan, District Supply Officer, Madhepura	Madhepura Subdivision
4.	Sri Mukesh Kumar, Senior Deputy Collector, Madhepura	Madhepura Subdivision
5.	Sri Qyum Ansari, District Panchayati Raj Officer, Madhepura	Madhepura Subdivision
6.	Smt. Rakhi Kumari, District Programmer Officer, ICDS, Madhepura	Madhepura Subdivision
7.	Sri Ravi Shankar Sharma, D.C.L.R., Madhepura	Madhepura Subdivision
8.	Sri Jai Prakash Narayan, D.T.O., Madhepura	Madhepura Subdivision
9.	Sri Mukesh Kumar, (B.A.S.) S.D.O., Udakishunganj	Udakishunganj Subdivision
10.	Sri Vinay Kumar Singh, D.C.L.R., Udakishunganj	Udakishunganj Subdivision

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

9 मई 2017

सं० **197** नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–13 की उप–धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा–261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
1.	2.	3.
1.	श्री राजीव रंजन सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, खगड़िया।	खगड़िया अनुमण्डल
2.	श्री विजय दास, सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, खगड़िया।	खगड़िया अनुमण्डल
3.	श्री रवि रंजन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खगड़िया।	खगड़िया अनुमण्डल
4.	मो0 नौशाद आलम, अंचल अधिकारी, खगड़िया।	खगड़िया अनुमण्डल
5.	श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी।	गोगरी अनुमण्डल
6.	श्रीमती मनोरमा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोगरी।	गोगरी अनुमण्डल
7.	श्री रंजीत कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोगरी।	गोगरी अनुमण्डल
8.	श्री चंदन कुमार, अंचल अधिकारी, गोगरी।	गोगरी अनुमण्डल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 9th May 2017

No. 197 A—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Rajeev Ranjan Singh, Executive Magistrate, Khagaria	Khagaria Subdivision
2.	Sri Vijay Das, Assistant District Supply Officer, Khagaria	Khagaria Subdivision
3.	Sri Ravi Ranjan, B.D.O., Khagaria	Khagaria Subdivision
4.	Sri Md. Nausad Alam, C.O., Khagaria	Khagaria Subdivision
5.	Sri Sanjay Kumar, D.C.L.R., Gogri	Gogri Subdivision
6.	Smt. Manorma Kumari Executive Magistrate, Gogri	Gogri Subdivision
7.	Sri Ranjeet Kumar, B.D.O., Gogri	Gogri Subdivision
8.	Sri Chandan Kumar, C.O., Gogri	Gogri Subdivision

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

9 मई 2017

सं० **198** नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–13 की उप–धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा–261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
1.	2.	3.
1.	श्री रविन्द्र प्रसाद, अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर।	हाजीपुर अनुमण्डल
2.	मो0 मुमताज आलम, अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ।	महुआ अनुमण्डल
3.	श्री रविन्द्र कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, महनार।	महनार अनुमण्डल
4.	श्री स्वप्निल, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हाजीपुर।	हाजीपुर अनुमण्डल
5.	श्री राम दुलार राम, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महुआ।	महुआ अनुमण्डल
6.	श्री ललित कुमार सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महनार।	महनार अनुमण्डल
7.	मो0 जफर आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, हाजीपुर।	हाजीपुर अनुमण्डल
8.	श्रीमती कुमारी नीरा वर्मा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, हाजीपुर।	हाजीपुर अनुमण्डल
9.	श्रीमती प्रतिमा कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआ।	महुआ अनुमण्डल
10.	श्रीमती कुमारी प्रतिमा गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महनार।	महनार अनुमण्डल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 9th May 2017

No. 198 A—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF

EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Ravindra Prasad, S.D.O., Hajipur	Hajipur Subdivision
2.	Md. Mumtaz Alam, S.D.O., Mahua	Mahua Subdivision
3.	Sri Ravindra Kumar, S.D.O., Mahnar	Mahnar Subdivision
4.	Sri Swipnil, D.C.L.R., Hajipur	Hajipur Subdivision
5.	Sri Ram Dular Ram, D.C.L.R., Mahua	Mahua Subdivision
6.	Sri Lalit Kumar Singh, D.C.L.R., Mahnar	Mahnar Subdivision
7.	Md. Jafar Alam, Senior Deputy Collector, Vaishali	Vaishali Subdivision
8.	Smt. Kumari Nira Verma, Executive Magistrate, Hajipur	Hajipur Subdivision
9.	Smt. Pratima Kumar, Executive Magistrate, Mahua	Mahua Subdivision
10.	Smt. Kumari Pratima Gupta, Executive Magistrate, Mahnar	Mahnar Subdivision

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

10 मई 2017

सं० **200** नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री नितिन कौशिक, सब जज, तेघड़ा, बेगूसराय एवं श्री रामजी सिंह यादव, सब जज I–सह–ए0सी0जे0एम0, शेरघाटी, गया की सेवायें, क्रमशः पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, डालमियानगर एवं पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर (श्रम न्यायालय, छपरा एवं मोतिहारी का भी प्रभार) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सौंपी जाती है। जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होंगी ।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 10th May 2017

No. 200 A— On being relieved of their present assignments, the services of Sri Nitin Kaushik, Sub Judge, Teghra, Begusarai and Sri Ramji Singh Yadav, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Sherghati, Gaya are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Govt. of Bihar, Patna for their appointment as Presiding Officer, Labour Court, Dalmiyanagar and Muzaffarpur (Incharge of Labour Court, Motihari and Chapra also) respectively, on deputation basis, for a maximum period of three years.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

11 मई 2017

सं० **206** नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के रूप में प्रोन्नत करते हुए उसी तालिका के स्तम्भ–3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानान्तरित एवं नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–11 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ–2 में अंकित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्र० सं०	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)**	**अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।**
1.	श्री आलोक कुमार पाण्डेय -II, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) हाजीपुर (स) वैशाली
2.	सुश्री सरोज किर्ति, न्यायिक दण्डाधिकारी, बांका (बांका)	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) सहरसा (स) सहरसा
3.	श्री आनन्द अभिषेक, मुंसिफ, दरभंगा (दरभंगा)	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) दलसिंगसराय (स) समस्तीपुर
4.	श्री रंजीत प्रसाद, न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–अपर मुंसिफ, दानापुर (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) बिरौल (स) दरभंगा
5.	श्री अजय कुमार-II, न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी (मधुबनी)	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) सुपौल (स) सुपौल
6.	श्री अंजनी कुमार गौंड, न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपुर (दरभंगा)	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) रोसड़ा (स) समस्तीपुर
7.	सुश्री इन्द्राणी किस्कु, मुंसिफ, पटना (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) सुपौल (स) सुपौल
8.	श्री मुकेश कुमार-II, मुंसिफ, हाजीपुर (वैशाली)	(अ) अवर न्यायाधीश (ब) दलसिंगसराय (स) समस्तीपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 11th May 2017

No. 206 A— The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below, on promotion to the cadre of Civil Judge (Senior Division), are transferred and appointed to act as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeships to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Judicial officers named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided

that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the Officers, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship/place in which appointed on promotion
1.	2.	3.
1.	Sri Alok Kumar Pandey II, S.D.J.M., Motihari (East Champaran)	(a) Sub Judge (b) Hajipur (c) Vaishali
2.	Ms. Saroj Kirti, J.M. 1st Class, Banka (Banka)	a) Sub Judge b) Saharsa c) Saharsa
3.	Sri Anand Abhishek, Munsif, Darbhanga (Darbhanga)	a) Sub Judge b) Dalsingsarai c) Samastipur
4.	Sri Ranjit Prasad, J.M. 1st Class-cum-A.M., Danapur (Patna)	a) Sub Judge b) Biroul c) Darbhanga
5.	Sri Ajay Kumar II, J.M. 1st Class, Benipatti (Madhubani)	a) Sub Judge b) Supaul c) Supaul
6.	Sri Anjani Kumar Gond, J.M. 1st Class, Benipur (Darbhanga)	a) Sub Judge b) Rosera c) Samastipur
7.	Ms. Indrani Kisku, Munsif, Patna (Patna)	a) Sub Judge b) Supaul c) Supaul
8.	Sri Mukesh Kumar II Munsif, Hajipur (Vaishali)	a) Sub Judge b) Dalsingsarai c) Samastipur

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

11 मई 2017

सं० **207** नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट–2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ–4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ–4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ–4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारन प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्रागिनी कुमारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर (भागलपुर)	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) भागलपुर स) भागलपुर	अ) भागलपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) भागलपुर मुंसिफी की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 11th May 2017

No. 207 A— The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not, however, be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	**Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship**	**a) Designation at the new station.** **b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily.** **c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.**	**Special Power with which the Officer is vested at the new station** **a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure).** **b) Under the provincial small causes Courts Act,1987**
1	**2**	**3**	**4**
1	Ms. Ragini Kumari, J.M. 1st Class, Bhagalpur (Bhagalpur)	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Bhagalpur c) Bhagalpur	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Bhagalpur Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Bhagalpur Munsifi.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

12 मई 2017

सं० **208** नि0—श्री रामाश्रय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज जिनका स्थानान्तरण ज्ञाप सं0 169नि0 दिनांक 28.04.2017 के द्वारा सितामढ़ी न्यायमंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में किया गया था को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 12th May 2017

No. 208 A— The transfer of Sri Ramashray, Additional District and Sessions Judge, Gopalganj as Additional District and Sessions Judge of Sitamarhi under Court's notification no. 169A dated 28.04.2017 is stayed.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

12 मई 2017

सं० **211** नि0— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ–3 में उनकी नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	विभा रानी, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), जहानाबाद।	जहानाबाद
2.	सुरभि श्रीवास्तव, दपरिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), गया।	गया
3.	अंकिता जयसवाल, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), खगड़िया।	खगड़िया

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 12th May 2017

No. 211 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 2nd Class for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officers with designation and present place of posting.	Name of the District
1.	2.	3.
1.	Ms. Vibha Rani, Probationary Munsif, Jehanabad.	Jehanabad
2.	Ms. Surabhi Srivastava, Probationary Munsif, Gaya.	Gaya
3.	Ms. Ankita Jaiswal, Probationary Munsif, Khagaria.	Khagaria

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

18 मई 2017

सं० **213** नि0—श्री बिधु भूषण पाठक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को श्री प्रकाश चन्द्र जायसवाल के स्थान पर, माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का महानिबंधक नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 18th May 2017

No. 213A— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Bidhu Bhushan Pathak, District and Sessions Judge, Patna, as Registrar General, Patna High Court, Patna vice Sri Prakash Chandra Jaiswal.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

19 मई 2017

सं० **214** नि0—श्री कृष्ण कान्त त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को श्री बिधु भूषण पाठक के स्थान पर पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 19th May 2017

No. 214A— Shri Krishna Kant Tripathi, District and Sessions Judge, East Champaran at Motihari is transferred and posted as District and Sessions Judge of Patna vice Sri Bidhu Bhushan Pathak.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

19 मई 2017

सं० **215** नि0—श्री कृष्ण शंकर सिंह 'सेंगर', प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना को श्री कृष्ण कान्त त्रिपाठी के स्थान पर पूर्वी चम्पारण स्थित मोतिहारी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 19th May 2017

No. 215A—Shri Krishna Shankar Singh 'Sengar', Principal Judge, Family Court, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of East Champaran at Motihari vice Sri Krishna Kant Tripathi.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

---

19 मई 2017

सं० **216** नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा–11 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1	सविता रानी, प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, आरा।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना सिटि स) पटना	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 19th May 2017

No. 216A— The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against her name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1.	2.	3.	4.
1.	Ms. Savita Rani, J.M. I, Ara	(a) Judicial Magistrate (b) Patna City (c) Patna	Patna

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

निगरानी विभाग,
सूचना भवना, पटना

अधिसूचना
22 मई 2017

सं० 4/निग0 कृषि (लोकायुक्त)–06/2017–2076––माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा वाद संख्या–1 लोक (कृषि)–07/2014–श्री रजनीश शर्मा–बनाम–प्रखंड कृषि पदाधिकारी, विक्रम में दिनांक 25.04.2017 को पारित आदेश द्वारा अग्रेत्तर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को ग्रहण करने का आदेश दिया गया है।

अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तात्कालिक प्रभाव से विक्रम थाना कांड संख्या–81/17 दिनांक 08.04.2017 के अधिग्रहण एवं अनुवर्त्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (विधि)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पटना उच्च न्यायालय

शुद्धि–पत्र

8 मई 2017

सं० 31599–31632—उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 332 नि0 दिनांक 02.08.2016 में क्रमांक संख्या 5 में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर की संपुष्टि की तिथि दिनांक 19.08.2015 के स्थान पर 02.09.2015 पढ़ा जाय।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 8th May 2017

No. 31599-31632— In Court's Notification No. 332A dated 02.08.2016, the date of Confirmation in respect of Sri Shailendra Kumar Singh, S.D.J.M., Bhagalpur, at serial no. 05 may be read as 02.09.2015 in place of 19.08.2015.

By Order of the High Court,
P. C. Jaiswal, *Registrar General.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No 876—I, **SHANTANU**, S/o S.H.P R/o MIG 236 West of Malahi Pakdi Chowk, Kankarbagh, Patna-800020, hereby declare that I will further be known as Shantanu Singh for all future purposes vide Affidavit No 44, Dated 30.03.2017

SHANTANU.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 19—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना
14 जुलाई 2017

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–01/2017–3748—श्री संजय कुमार चौधरी, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को दिनांक 30/31.12.2016 की रात्रि में केन्द्रीय कारा, बक्सर से पाँच (05) सजायाफ्ता बंदियों की पलायन की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 218 दिनांक 16.01.2017 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। साथ ही श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2146 दिनांक 28.04.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री चौधरी को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त करते हुए उन्हें कारा निरीक्षणालय (मुख्यालय) में प्रक्षेत्रीय सहायक कारा महानिरीक्षक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही यथावत् जारी रहेगी। उनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

4. उपरोक्त पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–02/2016–3786

संकल्प
17 जुलाई 2017

श्री मोती लाल, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ सम्प्रति निलंबित (संलग्न मंडल कारा, हाजीपुर) के विरूद्ध प्रावधान के विपरीत कारा के अन्दर बाहरी कारीगर को बुलाकर विशेष प्रकार के पकवान बनवाने, काफी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के जेल में प्रवेश कराने, जेल की महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं करने, प्रावधान के विपरीत संसीमित बंदी श्री राजबल्लभ यादव (विधायक) को देय सुविधाओं के विपरीत अतिरिक्त सुविधाएँ मुहैया कराने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1848 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 595/सी0डी0ई0 दिनांक 14.10.2016 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री मोती लाल के विरूद्ध गठित आठ (08) आरोपों में से सात (07) आरोपों (आरोप संख्या–01, 02,

03, 05, 06, 07 एवं 08) को पूर्णतया प्रमाणित एवं आरोप संख्या–04 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 7028 दिनांक 23.11.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री मोती लाल से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री मोती लाल के द्वारा दिनांक 15.12.2016 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनांक 23.03.2016 को विशेष पकवान कारा प्रशासन के द्वारा ही बनवाया गया था। उन्होंने कारा हस्तक के नियम–164 (ii) के तहत बंदियों के आहार में विनिमय करने का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि पंजियों का संधारण नियमानुसार किया जाता रहा है। दिनांक 22 एवं 23 मार्च, 2016 को विशेष भोजन बनाने में उपयोग में लायी गई सामग्रियों में से बहुत सी सामग्री कारा भंडार गृह में पूर्व से मौजूद थी तथापि अतिरिक्त सामग्रियों की प्रविष्टि बिक्री बही तथा भंडार पंजी में कर ली गई थी। बाहरी कारीगरों को नियमानुसार जाँच कर प्रविष्टि की गई और मुहर लगाया गया था। जहाँ तक चिकेन की जगह खस्सी के मीट बनाने की बात है वहाँ पर्याप्त मात्रा में चिकेन उपलब्ध नहीं रहने के कारण आपूरक द्वारा खस्सी के मीट की आपूर्ति कर दी गई, जिसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। बंदी विधायक श्री राजबल्लभ यादव को उच्च वर्ग की सुविधा दिये जाने के संबंध में उनका कहना है कि बिहार कारा हस्तक–2012 के नियम–391 में प्रतिबंधित सामग्रियों की सूची में आरोपित सामग्रियों का नाम नहीं है और उससे कारा की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मोती लाल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.03.2016 को जाँच दल द्वारा की गई जांच/प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं के संबंध में आरोपित ने अपने जवाब में कुछ नहीं कहा है, बल्कि उनके द्वारा पूर्व के सामान्य एवं औचक निरीक्षण का उल्लेख किया है, जिसका उक्त घटना से कोई संबंध नहीं है। आरोपित जब यह जानते थे कि होली पर्व में जेल की विधि–व्यवस्था संवेदनशील होती है तब उन्हें तत्समय नियमों के अनुपालन पर और कड़ी नजर रखनी चाहिए थी तथा जो भी सामग्रियां जेल में प्रवेश करायी जा रही थी, उनका तत्क्षण प्रविष्टि सुनिश्चित करानी चाहिए थी न कि उसे नजरअंदाज करना चाहिए था। किन्तु आरोपित पदाधिकारी इसमें पूर्णतः विफल रहे हैं। जेल परिसर में बिना किसी प्रविष्टि के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कारा सुरक्षा के सर्वथा प्रतिकूल है। कारा हस्तक के अनुसार जेल में खस्सी का मीट पकाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आरोपित द्वारा अपने उत्तरदायित्व से बचने मात्र के उद्देश्य से सारा दोष सहायक अधीक्षक एवं अन्य अधीनस्थों पर डालने का प्रयास किया गया है जो उनकी पदीय दायित्व निर्वहन में विफलता के साथ–साथ अधीनस्थों पर प्रभावकारी नियंत्रण एवं सामयिक पर्यवेक्षण तथा नियमित अनुश्रवण के अभाव का द्योतक है। बंदी आरोपित विधायक श्री राजबल्लभ यादव को उच्च वर्ग की सुविधा के नाम पर प्रतिबंधित सुविधाएँ मुहैया कराये जाने के संबंध में आरोपित का यह कहना कि प्रतिबंधित सामग्रियों की सूची में आरोपित सामग्रियों का नाम नहीं है, जो उनके कर्त्तव्य के प्रति गलत रवैया को दर्शाता है। संचालन पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में आरोपित के इस कथन को गैर जिम्मेदाराना माना है और प्रतिवेदित किया है कि बंदी श्री राजबल्लभ यादव को गलत ढंग से अतिरिक्त सुविधाएँ दी गई थी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपित के द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गई है।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मोती लाल के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् **'' अनिवार्य सेवानिवृत्ति ''** का दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

6. उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1373 दिनांक 24.03.2017 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 693 दिनांक 28.06.2017 द्वारा प्रस्तावित दंड पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मोती लाल, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ सम्प्रति निलंबित (संलग्न मंडल कारा, हाजीपुर) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (ix) के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

'' अनिवार्य सेवानिवृत्ति ''

8. इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–11/2015–3852

संकल्प

18 जुलाई 2017

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मंडल कारा, सीतामढ़ी में दिनांक 01.09.2015 की रात्रि में जिला प्रशासन, सीतामढ़ी द्वारा की गई छापेमारी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक एवं निषिद्ध सामग्रियों की बरामदगी की घटना में श्रीमती इला इसर, अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी द्वारा बिहार कारा हस्तक–2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए घोर लापरवाही एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2 अनुशसनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' पर श्रीमती इसर से विभागीय ज्ञापांक 2742 दिनांक 31.05.2017 एवं अनुवर्ती कतिपय स्मारों द्वारा लिखित अभिकथन की माँग की गई, परन्तु उनके द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी अपना लिखित अभिकथन समर्पित नहीं किया गया।

3. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्रीमती इला इसर, अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

4. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा वृत्ताधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती इसर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

7. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

17 जुलाई 2017

कौन/सी–6–153/87(खण्ड–III)–266/सी—बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी, श्री सूर्यदेव प्रसाद तिवारी, सेवानिवृत वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त के विरूद्ध दरभंगा प्रमण्डल के पदस्थापन काल में लिपिकों, पदचरों एवं मोटरचालकों की तथाकथित अनियमित प्रक्रिया के विरूद्ध नियुक्ति के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–7029/2009 State of Bihar & Others Versus Suryadeo Prasad Tiwari & Others में दिनांक 28.04.2017 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में निरस्त करते हुए श्री तिवारी को सभी (बकाया/देय) प्रयोजनार्थ आरोप मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 19—571+15-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in